भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3631

उत्तर देने की तारीखः 24.07.2019

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में विसंगति

3631. श्री रामनाथ ठाकुरः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसीज) के उप-वर्गीकरण हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि यदि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की श्रेणी का कोई अभ्यर्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के बराबर अंक लाता है तब भी उसे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में रखा जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इस विसंगति का समाधान करने के लिए प्रयास करेगी?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ग): सरकार ने निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ अन्य पिछड़े वर्गों में उप-श्रेणीकरण की जांच करने की दृष्टि से 2 अक्तूबर, 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी, मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), दिल्ली उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय आयोग गठित किया है:

(i) केंद्रीय सूची में शामिल ऐसे वर्गों के संदर्भ में, अन्य पिछड़ा वर्ग की विस्तृत श्रेणी में शामिल जातियों/समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की प्रमात्रा की जांच करना;

(ii) ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के भीतर उप-श्रेणीकरण हेतु, क्रिया विधि, मानदंड, मानकों एवं पैरा-मीटरों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करना; तथा

(iii) अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों अथवा समुदायों अथवा उप-जातियों अथवा पर्यायों की पहचान करने और उन्हें उनकी संबंधित उप-श्रेणी में श्रेणीकृत करने की कवायद आरंभ करना।

समय-समय पर आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है और वर्तमान में यह 31.07.2019 तक है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है।

(घ) और (ड़): सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार की नौकरियों और सेवाओं के लिए सीधी भर्ती में आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा जिनका चयन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों पर यथा लागू मानक के आधार पर हुआ है। ऐसे अभ्यर्थियों की गणना आरक्षित रिक्तियों के प्रति तभी की जाएगी जब किसी आरक्षित अभ्यर्थी के चयन में, उदाहरण के लिए, आयु सीमा, अनुभव, अर्हता, लिखित परीक्षा में अवसरों की अनुमत्य संख्या आदि में, शिथिल मानक लागू होते हैं।

****